क्र. सं.	दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सिद्धातों की अवहेलना व लापरवाही दर्शाता है। न्यायहित मे इस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। अगर उक्त आदेश की पालना आगामी पेशी दिनांक 31/7/25 तक नही की जाती है तो यह वाद अनैट होने के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। वकील वादी आवश्यक रूप मे उप० रहे।
31/7/25		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित / गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 11/9/25 को पेश हो सहायक कलेक्टर फागी
11/9/25		पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/11/25 को पेश है।
6/11/25		पत्रावली पेश। वादी व प्रतिवादी को अधिवक्ता को आवाज लगाई गई उप० नही आये। एक-एक कर बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी कोई उपस्थित नही आये। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है, अतः वादी का वाद अग्रिम तारीख अग्रिम पेशी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दुरुस्त होकर पत्र अभ्यर्थ मे पेश हो।